[2024] 3 एस.सी.आर. 438 : 2024 आईएनएससी 205

राकेश रंजन श्रीवास्तव

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 741/2024)

15 मार्च 2024

[अभय एस. ओका* और उज्ज्वल भुइयां, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143ए की उपधारा (1) का प्रावधान, जो अंतरिम मुआवजा देने का प्रावधान करता है, निर्देशात्मक है या अनिवार्य। यदि इसे निर्देशात्मक प्रावधान माना जाता है, तो एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

मुख्य बिन्दु

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 143 ए(1) - अंतरिम मुआवजा प्रदान करना - निर्देशात्मक या अनिवार्य:

निर्णित: धारा 143ए की उपधारा (1) के अंतर्गत शक्ति विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है - धारा 143ए की उपधारा (1) में धारा 138 के अंतर्गत शिकायत में अभियुक्त के विरुद्ध अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए कठोर आदेश पारित करने का प्रावधान है, अभियुक्त के अपराध पर कोई निर्णय होने से पहले भी - साक्ष्य दर्ज होने से पहले भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है - यदि 'कर सकते हैं' शब्द की व्याख्या 'करेगा' के रूप में की जाती है, तो इसके कठोर परिणाम होंगे क्योंकि धारा 138 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत में अभियुक्त को चेक राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देना होगा - ऐसी व्याख्या अन्यायपूर्ण होगी और निष्पक्षता और न्याय की सुस्थापित अवधारणा के विपरीत होगी - यदि ऐसी व्याख्या की जाती है, प्रावधान स्पष्ट मनमानी के लिए खुद को उजागर कर सकता है और संविधान के

---

* Author

अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। - मुकदमे में दोष का पता लगने से पहले धारा 143 ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने के कठोर परिणामों को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" को "करेगा" के रूप में नहीं समझा जा सकता है - वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना यंत्रवत् 10,00,000/- रुपये जमा करने का आदेश पारित किया - यह सच है कि 10,00,000/- रुपये की राशि चेक राशि का 5 प्रतिशत से कम है, लेकिन बिना सोचे समझे राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया - यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अपना विवेक नहीं लगाया - आपत्तिजनक

आदेश रद्द - ट्रायल कोर्ट अंतरिम मुआवजा देने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करेगा। [पैरा 19, 14, 17 और 18]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 143ए(1) - के तहत शक्तियों का प्रयोग - विचार किए जाने वाले कारक - धारा 143ए के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के लिए संक्षिप्त कारण दर्ज करने होंगे - धारा 143ए के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यापक पैरामीटर:

निर्णित: न्यायालय को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मामले के गुण-दोष और आवेदन के उत्तर में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव के गुण-दोष का मूल्यांकन करना होगा - एन.आई. की धारा 139 के तहत अनुमान अधिनियम अपने आप में अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह अनुमान खंडनीय है - अभियुक्त की वित्तीय परेशानी भी एक विचार हो सकती है - अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है - यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया प्रशंसनीय पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है - यदि न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अंतरिम मुआवजा देने का मामला बनता है, तो उसे दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर भी विचार करना होगा - ऐसा करते समय, उसे कई कारकों पर विचार करना होगा जैसे कि लेन-देन की प्रकृति, अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, आदि। - किसी दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं,

जिन्हें विस्तृत रूप से नहीं बताया जा सकता है - बताए गए पैरामीटर विस्तृत नहीं हैं। [पैरा 19, 16]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 143ए, 138 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 2(डब्ल्यू), (एक्स), 259, 262-265:

धारणा: धारा 143ए(1) के तहत शक्ति एक सारांश परीक्षण या एक सम्मन मामले में अभियुक्त की दलील की रिकॉर्डिंग पर अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देना है कि वह दोषी नहीं था और, अन्य मामलों में, आरोप तय होने पर - चूंकि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अधिकतम सजा 2 साल तक के कारावास की है, इसलिए धारा 2, सीआरपीसी के खंड (एक्स) के साथ खंड (डब्ल्यू) के मद्देनजर, एन.आई. की धारा 138 के तहत मामले अधिनियम के तहत समन मामलों के रूप में विचारणीय हैं - हालांकि, धारा 143 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि सीआरपीसी में निहित किसी भी बात के बावजूद, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 262 से 265 के तहत एक संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर शिकायत की सुनवाई करेगा - हालांकि, जब परीक्षण के प्रारंभ में या सारांश परीक्षण के दौरान, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। पारित हो जाने पर या किसी अन्य कारण से मामले की संक्षिप्त सुनवाई करना अवांछनीय हो जाता है, तो मामले की सुनवाई सीआरपीसी द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी - इसलिए, धारा 138 के तहत शिकायत ऐसी स्थिति में समन मामला बन जाती है - इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 259 के तहत, उक्त धारा में जो प्रावधान है, उसके अधीन रहते हुए, मजिस्ट्रेट के पास समन मामले को वारंट मामले में बदलने का विवेकाधिकार है - केवल वारंट मामले में ही आरोप तय करने का सवाल है - इसलिए, धारा 143ए की उपधारा (1) का खंड (बी) तभी लागू होगा जब मामले की सुनवाई वारंट मामले के रूप में की जा रही हो - सारांश या समन सुनवाई के मामले में, धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग अभियुक्त की दलील दर्ज होने के बाद किया जा सकता है। [पैरा 10]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 143 ए - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 421 - अंतरिम मुआवजे की वसूली:

निर्णय: धारा 143ए(5) के तहत यह प्रावधान है कि अंतरिम मुआवजे की राशि को उसी तरह वसूला जा सकता है जैसे कि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत जुर्माना हो -

इसलिए, कानूनी कल्पना के अनुसार, अंतरिम मुआवजे को इसकी वसूली के प्रयोजनों के लिए जुर्माना माना जाता है - धारा 421 दंड न्यायालय द्वारा सजा सुनाते समय लगाए गए जुर्माने की वसूली से संबंधित है - इस प्रकार, अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 का सहारा लिया जा सकता है। [पैरा 11]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 143ए - उद्देश्य - चर्चा की गई।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 143 ए - अंतरिम मुआवजे का भुगतान न करना - परिणाम:

निर्णय: धारा 143 ए के तहत तय अंतरिम मुआवजे का भुगतान न करने के गंभीर परिणाम होते हैं - इसे वसूलने के लिए, आरोपी को उसकी अचल और चल संपत्ति से वंचित किया जा सकता है - अगर उसे बरी कर दिया जाता है, तो वह शिकायतकर्ता से धारा 143 ए (4) के तहत दिए गए ब्याज के साथ पैसा वापस ले सकता है - लेकिन, अगर उसकी चल या अचल संपत्ति अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए बेची गई है, तो भले ही वह बरी हो जाए, उसे अपनी संपत्ति वापस नहीं मिलेगी - हालांकि, एन.आई. अधिनियम में शिकायतकर्ता से ब्याज सहित मुआवज़ा राशि की वसूली का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है जैसा कि धारा 143ए(4) में प्रावधान है, क्योंकि उपधारा (4) में शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को अंतरिम मुआवज़ा वापस करने का प्रावधान है और चूंकि उपधारा (5) में अंतरिम मुआवज़े की वसूली का तरीका प्रदान किया गया है, इसलिए स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता से अंतरिम मुआवज़ा वसूली के लिए वसूली का तरीका सीआरपीसी की धारा 421 में प्रावधान के अनुसार होगा - शिकायतकर्ता से राशि की वसूली के लिए एक लंबी प्रक्रिया शामिल हो सकती है - यदि शिकायतकर्ता के पास कोई संपत्ति नहीं है, इसलिए वसूली असंभव होगी। [पैरा 12]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 - धारा 148, 143ए - धारा 148(1) के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए लागू परीक्षण धारा 143ए(1) के तहत लागू नहीं होंगे:

निर्णय : धारा 148 की उपधारा (1) अपीलीय न्यायालय को अपीलकर्ता/अभियुक्त को मुआवजा राशि का 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है - यह एक अलग स्तर पर संचालित होती है क्योंकि इसके तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता/अभियुक्त को पूर्ण परीक्षण के बाद दोषी ठहराया जाता है - धारा 143ए के मामले में, अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है

- अभियुक्त की दोषसिद्धि से पहले धारा 143ए लागू की जा सकती है, और इसलिए, इसमें प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" को कभी भी "करेगा" के रूप में नहीं समझा जा सकता है - धारा 148 के प्रयोग के लिए लागू परीक्षण धारा 148 की उपधारा (1) के तहत क्षेत्राधिकार कभी भी एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर लागू नहीं हो सकता। [पैरा 13, 15.1]

शब्द और अभिव्यक्तियाँ - 'हो सकता है' - व्याख्या:

निर्णय: शब्द "हो सकता है" का सामान्यतः अर्थ "होना चाहिए" नहीं होता है - सामान्यतः, "हो सकता है" का अर्थ "करेगा" नहीं माना जाएगा - लेकिन यह एक कठोर नियम नहीं है - कुछ विधानों में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग "करेगा" के रूप में किया जा सकता है, और "करेगा" शब्द का अर्थ "कर सकता है" के रूप में किया जा सकता है - यह सब कानून के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रकृति और शक्ति के प्रयोग के प्रभाव पर निर्भर करता है - विधायी मंशा भी ऐसे प्रावधानों की व्याख्या में भूमिका निभाती है - यहां तक कि जिस संदर्भ में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी प्रासंगिक है। [पैरा 9]

उद्धृत केस कानून

सुरिंदर सिंह देसवाल बनाम वीरेंद्र गांधी, [2019] 8 एससीआर 746: (2019) 11 एससीसी 341; **जम्बू भंडारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड** और अन्य, (2023) 10 एससीसी 446 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

कीवर्ड की सूची

अंतरिम मुआवजा; निर्देशिका या अनिवार्य; अंतरिम मुआवजे की वसूली।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

मामला उत्पन्न होने से

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामला: आपराधिक अपील संख्या 741/2024 झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 03.01.2023 के निर्णय और आदेश से सीआरएमपी संख्या 836/2021

पक्षों की उपस्थिति

शुभम भल्ला, रजनीश रंजन, यजुर भल्ला, सुश्री अंचिता नय्यर, सुश्री रागिनी शर्मा, सुश्री आकांक्षा गुलाटी, सुश्री नित्या माहेश्वरी, सुश्री गौरी बेदी, जयसूर्या जैन, रोहित पांडे, एलेक्स नोएल दास, विजय कुमार द्विवेदी, अपीलकर्ता के वकील। प्रतीक यादव, मोहम्मद। शाहरुख, योगेश यादव, पति राज यादव, सुश्री प्रतिमा यादव, रणबीर सिंह यादव, विष्णु शर्मा, सुश्री मधुस्मिता बोरा, दीपांकर सिंह, श्रीमती अनुपमा शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अभय एस ओका, जे.

1. इस आपराधिक अपील में शामिल मुद्दा यह है कि क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में, 'एन.आई. अधिनियम') की धारा 143 ए की उपधारा (1) का प्रावधान, जो अंतरिम मुआवजे के अनुदान का प्रावधान करता है, निर्देशिका है या अनिवार्य। यदि इसे निर्देशिका प्रावधान माना जाता है, तो यह सवाल उठता है कि एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए।

तथ्यात्मक पहलू

शिकायत में दूसरे प्रतिवादी का मामला

2. दूसरा प्रतिवादी (जिसे आगे 'प्रतिवादी' कहा जाएगा) एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता है। शिकायत बोकारो में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई थी। शिकायत में मामला यह है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने लाभ साझा करने के संबंध में 23 सितंबर 2011 को विभिन्न नियमों और शर्तों पर विभिन्न कंपनियां बनाईं। अपीलकर्ता द्वारा उनकी क्षमता में एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया

था। कंपनी मेसर्स थर्मोटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और एक मालिकाना संबंध, मेसर्स टेक सिनर्जी की ओर से, जिसके द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को 1,00,000/- रुपये प्रति माह के समेकित वेतन पर कार्यकारी निदेशक का पद देने की पेशकश की गई थी।

3. 1 जून 2012 को, अपीलकर्ता ने राहुल कुमार बसु के साथ एक साझेदारी बनाई, जिसमें प्रतिवादी को एक अप्रत्यक्ष भागीदार के रूप में दिखाया गया था। प्रतिवादी के मामले के अनुसार, मेसर्स टेक सिनर्जी को एक अन्य कंपनी - मेसर्स मेगाटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया था। प्रतिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2012 में, उसे लाभ का 50 प्रतिशत भुगतान करने का समझौता हुआ था। 3 जून 2013 को एक और साझेदारी फर्म अस्तित्व में आई, जिसमें अपीलकर्ता, प्रतिवादी और राहुल कुमार को भागीदार के रूप में दिखाया गया। प्रतिवादी का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने एक अन्य कंपनी जियोटेक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मुनाफे में 50 प्रतिशत हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को बकाया और देय राशि का भुगतान नहीं किया। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी के मामले के अनुसार, अपीलकर्ता प्रतिवादी को कुल 4,38,80,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, और वास्तव में, प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि की वसूली के लिए बोकारो के सिविल कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। उसके बाद, 13 जुलाई 2018 को, रांची में पार्टियों के बीच एक बैठक हुई, जब अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को 4,25,00,000 रुपये की राशि और 25,00,000 रुपये की राशि के दो चेक देने पर सहमति व्यक्त की। 2,20,00,000/- तथा 2,05,00,000/- दिनांक 6 अगस्त 2018 तथा 19 सितम्बर 2018 को अपीलकर्ता को सौंपे गए। चूंकि 2,20,00,000/- रुपए की राशि का पहला चेक अनादरित हो गया था, इसलिए वैधानिक नोटिस की तामील के बाद एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया।

एन.आई. अधिनियम की धारा 143 ए के अंतर्गत आवेदन

4. विद्वान मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष प्रतिवादी ने एन.आई. अधिनियम की धारा 143 ए के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलकर्ता/आरोपी के विरुद्ध चेक राशि

का 20 प्रतिशत मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई। दिनांक 7 मार्च 2020 के आदेश द्वारा, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी को 10,00,000/- रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया। सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन में विद्वान मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि की। उक्त आदेशों को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। ये आदेश वर्तमान आपराधिक अपील में चुनौती का विषय हैं।

प्रविष्टियों

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने बताया कि एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए की उपधारा (1) में 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए, यह प्रावधान विवेकाधीन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट अंतरिम मुआवजा देने का आदेश यंत्रवत् पारित नहीं कर सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय को जमा करने का कठोर आदेश पारित करने से पहले मामले के तथ्यों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 143 ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मामले का अस्तित्व आवश्यक है। शिकायतकर्ता के मामले की योग्यता और अभियुक्त के बचाव पर प्रथम दृष्टया विचार करने के बाद ही न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अंतरिम मुआवजा दिए जाने का मामला बनता है या नहीं। न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि अंतरिम मुआवजा दिए जाने का मामला बनता है, न्यायालय को अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर विचार करना होगा। प्रत्येक मामले में न्यायालय अंतरिम मुआवजे के रूप में चेक राशि का 20 प्रतिशत नहीं दे सकता।

6. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के मूल उद्देश्य पर विचार करते हुए धारा 143 ए की उपधारा (1) को अनिवार्य माना जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत यह अनुमान है कि जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, चेक धारक ने किसी ऋण या देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए चेक प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि उक्त अनुमान का खंडन करने का प्रश्न साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही उठेगा। इसलिए धारा 143ए की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने के चरण में अभियुक्त का बचाव अप्रासंगिक है। प्रत्येक मामले में

अंतरिम मुआवजे के भुगतान का आदेश अवश्य दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक यह नहीं माना जाता कि धारा 143ए की उपधारा (1) अनिवार्य है, तब तक इस प्रावधान को लागू करने का विधानमंडल का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

प्रविष्टियों पर विचार

धारा 143 ए का उद्देश्य

7. धारा 143 ए को 1 सितंबर 2018 से अधिनियम संख्या 20, 2018 द्वारा विधि पुस्तक में शामिल किया गया। धारा 143ए इस प्रकार है:

> **"143-ए. अंतरिम मुआवजे का निर्देश देने की शक्ति।–(1)**
>
> **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, धारा 138 के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला न्यायालय चेक जारी करने वाले को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दे सकता है–**
>
> **(ए) सारांश परीक्षण या समन मामले में, जहां वह शिकायत में लगाए गए आरोप के लिए दोषी नहीं होने की दलील देता है; और**
>
> **(बी) किसी अन्य मामले में, आरोप तय होने पर।**
>
> **(2) उप-धारा (1) के तहत अंतरिम मुआवजा चेक की राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।**
>
> (3) अंतरिम प्रतिकर उपधारा (1) के अधीन आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चेक जारी करने वाले द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिन से अधिक ना हो की अतिरिक्त अवधि के भीतर अदा किया जाएगा।
>
> (4) यदि चेक जारी करने वाले को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिन से अधिक ना हो की अतिरिक्त अवधि के भीतर अंतरिम मुआवजे की राशि वापस करने का निर्देश देगा।

(5) इस धारा के अधीन देय अंतरिम मुआवजे की वसूली दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन जुर्माने के रूप में की जा सकेगी।

(6) धारा 138 के अंतर्गत लगाए गए जुर्माने की राशि या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अंतर्गत दिए गए मुआवजे की राशि में से इस धारा के अंतर्गत अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान की गई या वसूल की गई राशि को घटा दिया जाएगा।

(महत्व जोड़ें)

7.1. उद्देश्यों और कारणों के कथन में, यह कहा गया था कि चेक के बेईमान लेखक अपील दायर करके और स्थगन प्राप्त करके धारा 138 के तहत शिकायत की कार्यवाही को लंबा खींचते हैं। इसलिए, अस्वीकृत चेक के भुगतानकर्ता के साथ अन्याय होता है, जिसे चेक के मूल्य का एहसास करने के लिए अदालती कार्यवाही में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। यह भी देखा गया कि इस तरह की देरी चेक लेनदेन की पवित्रता से समझौता करती है। इसलिए, चेक अस्वीकृत मामलों के अंतिम समाधान में अनुचित देरी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एन.आई. अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था। यह भी कहा गया कि प्रस्तावित संशोधन चेक की विश्वसनीयता को मजबूत करेंगे और व्यापार और वाणिज्य में मदद करेंगे।

8. हम यहाँ यह नोट कर सकते हैं कि 2018 के उसी अधिनियम संख्या 20 द्वारा, धारा 148 को क़ानून की किताब में लाया गया था, जो यह प्रावधान करता है कि धारा 138 के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में, अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी। धारा 148 की उप-धारा (1) का प्रावधान स्पष्ट करता है कि धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत देय राशि धारा 143 ए के तहत अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा भुगतान किए गए अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त है। धारा 148 को जोड़ने के लिए कोई अलग उद्देश्य और कारण निर्धारित नहीं किए गए हैं।

<u>अनिवार्य या निर्देश</u>

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शब्द "हो सकता है" का सामान्यतः अर्थ "होना चाहिए" नहीं होता है। सामान्यतः, "हो सकता है" का अर्थ "करेगा" नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यह कोई कठोर नियम नहीं है। कुछ विधानों में "हो सकता है" शब्द का प्रयोग "करेगा" के रूप में किया जा सकता है, और "करेगा" शब्द का अर्थ "कर सकता है" के रूप में किया जा सकता है। यह सब कानून के प्रासंगिक प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रकृति और शक्ति के प्रयोग के प्रभाव पर निर्भर करता है। विधायी मंशा भी ऐसे प्रावधानों की व्याख्या में भूमिका निभाती है। यहां तक कि जिस संदर्भ में "कर सकता है" शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी प्रासंगिक है।

10. धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत शक्ति यह है कि अभियुक्त द्वारा यह दलील दर्ज किए जाने पर कि वह दोषी नहीं है, संक्षिप्त सुनवाई या समन मामले में अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया जा सकता है और अन्य मामलों में आरोप तय किए जाने पर। चूंकि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अधिकतम सजा 2 वर्ष तक कारावास है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआरपीसी') की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) के साथ खंड (एक्स) के मद्देनजर, एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले समन मामलों के रूप में विचारणीय हैं। हालांकि, धारा 143 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि सीआरपीसी में निहित किसी भी बात के बावजूद, विद्वान मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 262 से 265 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर शिकायत की सुनवाई करेगा। हालांकि, जब मुकदमे की शुरुआत में या संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए या किसी अन्य कारण से मामले की संक्षिप्त सुनवाई करना अवांछनीय है, तो मामले की सुनवाई सीआरपीसी द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी। इसलिए, धारा 138 के तहत शिकायत ऐसी स्थिति में समन मामला बन जाती है। हम यहां यह नोट कर सकते हैं कि सीआरपीसी की धारा 259 के तहत, उक्त धारा में जो प्रावधान है, उसके अधीन, विद्वान मजिस्ट्रेट के पास समन मामले को वारंट मामले में बदलने का विवेकाधिकार है। केवल वारंट मामले में ही आरोप तय करने का सवाल है। इसलिए, धारा 143 ए की उपधारा (1) का खंड (बी) केवल तभी लागू होगा जब मामले की सुनवाई वारंट मामले के रूप में की जा रही हो। सारांश या समन परीक्षण के मामले में, धारा

143 ए की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग अभियुक्त की दलील दर्ज होने के बाद किया जा सकता है।

11. धारा 143 ए की उपधारा (5) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अंतरिम मुआवजे की राशि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के अंतर्गत जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है। इसलिए, विधिक कल्पना के अनुसार, अंतरिम मुआवजे को उसकी वसूली के प्रयोजनों के लिए जुर्माने के रूप में माना जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 दंड न्यायालय द्वारा सजा सुनाते समय लगाए गए जुर्माने की वसूली से संबंधित है। इस प्रकार, अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 का सहारा लिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

"421. **जुर्माना लगाने के लिए वारंट।** - (1) जब किसी अपराधी को जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई हो, तो सजा सुनाने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों तरीकों से जुर्माना वसूलने के लिए कार्रवाई कर सकता है, अर्थात यह -

(क) अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री करके राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है;

(बी) जिले के कलेक्टर को वारंट जारी करना,

उसे बकाया राशि के रूप में चूककर्ता की चल या अचल

संपत्ति, या दोनों से भूमि राजस्व वसूलने के लिए अधिकृत करना:

बशर्ते कि, यदि सजा यह निर्देश देती है कि जुर्माना न चुकाने पर, अपराधी को कारावास दिया जाएगा,और यदि ऐसा अपराधी ऐसे कारावास की पूरी अवधि चूक में काट चुका है, तो कोई भी न्यायालय ऐसा वारंट तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से ऐसा करना आवश्यक न समझे, या जब तक कि उसने धारा 357 के तहत जुर्माने में से व्यय या मुआवजे के भुगतान के लिए कोई आदेश न दिया हो।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत वारंटों को निष्पादित करने के तरीके को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है, और अपराधी के अलावा किसी अन्य

व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी दावे के सारांश निर्धारण के लिए ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के संबंध में।

(3) जहां न्यायालय उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कलेक्टर को वारंट जारी करता है, वहां कलेक्टर भूमि राजस्व के बकाया की वसूली से संबंधित कानून के अनुसार राशि वसूल करेगा, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र हो:

बशर्ते कि ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारागार में निरुद्धि द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा।

12. अभियुक्त द्वारा अंतरिम मुआवजे का भुगतान न करने से अभियोजन का बचाव करने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता है। अंतरिम मुआवजे की राशि को जुर्माना मानकर उससे वसूला जा सकता है। अंतरिम मुआवजे की राशि को ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्त की चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए वारंट जारी करके वसूला जा सकता है। न्यायालय के पास जिले के कलेक्टर को वारंट जारी करने का भी अधिकार है, जो उसे अभियुक्त की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में अंतरिम मुआवजे की राशि वसूलने के लिए अधिकृत करता है। अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए, कलेक्टर द्वारा अभियुक्त की चल या अचल संपत्ति बेची जा सकती है। इस प्रकार, धारा 143 ए के तहत तय अंतरिम मुआवजे का भुगतान न करने के गंभीर परिणाम होते हैं। इसे वसूलने के लिए, अभियुक्त को उसकी अचल और चल संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। यदि वह दोषमुक्त हो जाता है, तो वह धारा 143 ए की उपधारा (4) के अनुसार ब्याज सहित धनराशि शिकायतकर्ता से वापस ले सकता है। लेकिन, यदि अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए उसकी चल या अचल संपत्ति बेची गई है, तो भले ही वह दोषमुक्त हो जाए, उसे अपनी संपत्ति वापस नहीं मिलेगी। यद्यपि, एन.आई. अधिनियम धारा 143ए की उपधारा (4) के अनुसार शिकायतकर्ता से मुआवजा राशि ब्याज सहित वसूलने का कोई तरीका निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि उपधारा (4) में शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को अंतरिम मुआवजा वापस करने का प्रावधान है और चूंकि उपधारा (5) में अंतरिम मुआवजे की वसूली का तरीका प्रदान किया गया है, इसलिए स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता से अंतरिम मुआवजे की वसूली के लिए वसूली का तरीका सीआरपीसी की धारा 421 के अनुसार होगा। शिकायतकर्ता से राशि वसूलने के लिए यह एक लंबी

प्रक्रिया हो सकती है। यदि शिकायतकर्ता के पास कोई संपत्ति नहीं है, तो वसूली असंभव होगी।

13. इस स्तर पर, हम धारा 148 की उपधारा (1) पर ध्यान दे सकते हैं। धारा 148 इस प्रकार है:-

> "**148. दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने तक भुगतान का आदेश देने की अपील न्यायालय की शक्ति।**-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील में, अपील न्यायालय अपीलकर्ता को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकता है जो ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवजे का कम से कम बीस प्रतिशत होगी:
>
> बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत देय राशि धारा 143ए के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किए गए किसी अंतरिम मुआवजे के अतिरिक्त होगी। (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिनों से अधिक नहीं की अतिरिक्त अवधि के भीतर जमा की जाएगी। (3) अपीलीय न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को शिकायतकर्ता को जारी करने का निर्देश दे सकता है: बशर्ते कि यदि अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय शिकायतकर्ता को जारी की गई राशि को अपीलकर्ता को संबंधित वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित, आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर या शिकायतकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर न्यायालय द्वारा निर्देशित तीस दिनों से अधिक नहीं की अतिरिक्त अवधि के भीतर वापस करने का निर्देश देगा।"

धारा 148 की उपधारा (1) अपीलीय न्यायालय को अपीलकर्ता/अभियुक्त को क्षतिपूर्ति राशि का 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। यह एक अलग स्तर पर संचालित होती है क्योंकि इसके तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता/अभियुक्त को पूर्ण परीक्षण के बाद दोषी ठहराया जाता है।

14. धारा 143 ए के मामले में, अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने से पहले भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 143 ए की उपधारा (1) धारा 138 के तहत शिकायत में अभियुक्त के खिलाफ अंतरिम मुआवजे के भुगतान के लिए कठोर आदेश पारित करने का प्रावधान करती है, यहां तक कि अभियुक्त के अपराध पर कोई निर्णय होने से पहले भी। साक्ष्य दर्ज किए जाने से पहले भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि 'कर सकते हैं' शब्द की व्याख्या 'करेगा' के रूप में की जाती है, तो इसके कठोर परिणाम होंगे क्योंकि धारा 138 के तहत प्रत्येक शिकायत में अभियुक्त को चेक राशि का 20 प्रतिशत तक अंतरिम मुआवजा देना होगा। ऐसी व्याख्या अन्यायपूर्ण होगी और निष्पक्षता और न्याय की सुस्थापित अवधारणा के विपरीत होगी। यदि ऐसी व्याख्या की जाती है, तो प्रावधान स्पष्ट मनमानी के दोष के लिए खुद को उजागर कर सकता है। प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। एक अर्थ में, धारा 143ए की उपधारा (1) किसी अभियुक्त को उसके अपराध सिद्ध होने से पहले ही दण्डित करने का प्रावधान करती है। धारा 143ए के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग करने के कठोर परिणामों को ध्यान में रखते हुए और वह भी मुकदमे में दोष सिद्ध होने से पहले, प्रावधान में प्रयुक्त शब्द “कर सकता है” को “करेगा” के रूप में नहीं समझा जा सकता। प्रावधान को निर्देशात्मक माना जाएगा न कि अनिवार्य। इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धारा 143ए में प्रयुक्त शब्द “कर सकता है” को “करेगा” के रूप में नहीं समझा जा सकता। इसलिए, धारा 143ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत शक्ति विवेकाधीन है।

15. धारा 148 की उपधारा (1) में भी “कर सकता है” शब्द का प्रयोग किया गया है। **सुरिंदर सिंह देसवाल बनाम वीरेंद्र गांधी** के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 148 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद माना कि इसमें प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" को सामान्यतः "नियम" या "करेगा" के रूप में समझा जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि जब अपीलीय न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमा राशि का निर्देश न देने का निर्णय लेता है, तो उसे कारण अवश्य दर्ज करने चाहिए। **सुरिंदर सिंह देसवाल** के मामले में उक्त निर्णय पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने **जंबू भंडारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं अन्य** के मामले में, पैराग्राफ 6 में इस प्रकार माना:

---

1 2019] 8 SCR 746 : (2019) 11 SCC 34

"6. इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि धारा 148 एनआई अधिनियम की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। **इसलिए, सामान्यतः, धारा 148 में प्रावधान के अनुसार जमा की शर्त लगाने में अपीलीय न्यायालय न्यायोचित होगा। हालांकि, ऐसे मामले में जहां अपीलीय न्यायालय संतुष्ट है कि 20% जमा की शर्त अनुचित होगी या ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता के अपील के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा, विशेष रूप से दर्ज किए गए कारणों के लिए अपवाद बनाया जा सकता है।**

(महत्व जोड़े)

15.1. जैसा कि पहले माना गया है, धारा 143ए को अभियुक्त की दोषसिद्धि से पहले लागू किया जा सकता है, और इसलिए, इसमें प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" को कभी भी "करेगा" के रूप में नहीं समझा जा सकता है। धारा 148 की उपधारा (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए लागू परीक्षण एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए की उपधारा (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कभी भी लागू नहीं हो सकते।

<u>विवेक का प्रयोग करते समय विचार किए जाने वाले कारक</u>

16. जब न्यायालय एन.आई. अधिनियम की धारा 143ए के अंतर्गत किसी आवेदन पर विचार करता है, तो न्यायालय को प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के गुण-दोष तथा धारा 143ए की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन के उत्तर में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गुण-दोष का मूल्यांकन करना होगा। एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान, अपने आप में, अंतरिम मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने का आधार नहीं है। इसका कारण यह है कि अनुमान खंडनीय है। अनुमान को लागू करने का प्रश्न मुकदमे के दौरान उठेगा। केवल तभी जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है, अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश जारी किया जा सकता है। इस स्तर पर, यह तथ्य कि अभियुक्त वित्तीय संकट में है, भी विचारणीय हो सकता है। भले ही न्यायालय यह निष्कर्ष निकालता है कि अंतरिम मुआवजे के अनुदान के लिए मामला बनता है, न्यायालय को दिए जाने वाले अंतरिम मुआवजे की मात्रा पर विचार करना

---

2 (2023) 10 SCC 446

होगा। इस स्तर पर भी, न्यायालय को लेन-देन की प्रकृति, अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, तथा अभियुक्त की भुगतान क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करना होगा। यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया एक प्रशंसनीय बचाव पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है। हम ध्यान दें कि जिन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन्हें हमने ऊपर निर्धारित किया है, वे संपूर्ण नहीं हैं। किसी दिए गए मामले के तथ्यों में कई अन्य कारक हो सकते हैं, जैसे कि सिविल मुकदमे का लंबित होना आदि। धारा 143 ए के तहत की गई प्रार्थना का फैसला करते समय, न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए संक्षिप्त कारण दर्ज करने चाहिए।

17. वर्तमान मामले में, ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना यंत्रवत् 10,00,000/- रुपये जमा करने का आदेश पारित कर दिया है। यह सही है कि 10,00,000/- रुपए की राशि चेक राशि के 5 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन बिना सोचे-समझे राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी इस पर विचार नहीं किया है। इसलिए हम अंतरिम मुआवजा देने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट को निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं। इस बीच, अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई 10,00,000/- रुपए की राशि ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगी।

18. इसलिए, आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है, और शिकायतकर्ता द्वारा एन.आई. अधिनियम की धारा 143 ए (1) के तहत शिकायत याचिका संख्या 1103/2018 में किए गए आवेदन को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बोकारो की फाइल में वापस लाया जाता है। विद्वान न्यायाधीश इस निर्णय में जो कहा गया है, उसके आलोक में अंतरिम मुआवजा देने के आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करेंगे और निर्णय देंगे। अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई 10,00,000/- रुपए की राशि को उक्त आवेदन के निपटारे तक सावधि जमा में निवेश किया जाएगा। आवेदन के निपटारे के समय, ट्रायल कोर्ट उक्त राशि की वापसी और/या निकासी और/या निवेश के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

19. पहले जो निर्णय दिया गया है, उसके अधीन मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार संक्षेपित किए जा सकते हैं

a. धारा 143 ए की उपधारा (1) के तहत शक्ति का प्रयोग विवेकाधीन है। प्रावधान निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। प्रावधान में प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" को "करेगा" के रूप में नहीं समझा जा सकता है।

b. धारा 14 3ए के तहत की गई प्रार्थना पर निर्णय लेते समय, न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए संक्षिप्त कारण दर्ज करने होंगे।

c. धारा 143 ए के तहत विवेक का प्रयोग करने के लिए व्यापक मापदंड इस प्रकार हैं:

i. न्यायालय को शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले की योग्यता और आवेदन के उत्तर में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव की योग्यता का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करना होगा। अभियुक्त की वित्तीय परेशानी भी एक विचारणीय विषय हो सकता है।

ii. अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश तभी जारी किया जा सकता है, जब शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया मामला बनाता है।

iii. यदि अभियुक्त का बचाव प्रथम दृष्टया प्रशंसनीय पाया जाता है, तो न्यायालय अंतरिम मुआवजा देने से इनकार करने में विवेक का प्रयोग कर सकता है।

iv. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अंतरिम मुआवजा देने का मामला बनता है, तो उसे अंतरिम मुआवजा दिए जाने की मात्रा पर भी विचार करना होगा। ऐसा करते समय न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना होगा जैसे कि लेन-देन की प्रकृति, आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध, यदि कोई हो, आदि।

v. किसी दिए गए मामले के विशिष्ट तथ्यों में कई अन्य प्रासंगिक कारक हो सकते हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से नहीं बताया जा सकता है। ऊपर बताए गए पैरामीटर विस्तृत नहीं हैं।

20. अपील को उपरोक्त शर्तों पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

मामले का परिणाम:

आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।